(☎022-22862703)
ईमेल-/e-mail-
uschss@dae.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना
CONTRIBUTORY HEALTH SERVICE SCHEME

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan
छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg
मुंबई Mumbai - 400 001

No. 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/ 12648 02 नवंबर November, 2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: गर्भावस्था में जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए ART (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी) से इलाज के बारे में स्पष्टीकरण – के संबंध मे ।

Subject: Clarification for treatment through ART (Assisted Reproductive Technology) to prevent Genetic Disorder in Pregnancy – Reg.

उपर्युक्त विषय पर विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/10505 दिनांक 04/09/2026 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

Reference is invited to Department's OM No. 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/10505 dated 04/09/2026 on the captioned subject.

2. इस संबंध में, विभाग को 19.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/16/2013/IR&W/2011 में उल्लिखित 'इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन' (IVF) उपचार की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण के लिए एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। चूँकि 04.09.2026 के कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी' (ART) को CHSS नियमों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

In this connection, reference has been received in the Department for clarification regarding admissibility of In-Vitro Fertilization (IVF) treatment stipulated in Department's OM No. 7/16/2013/IR&W/2011 dated 19.05.2014, since OM dated 04.09.2026 stipulates that Assisted Reproductive Technology (ART) is not covered under CHSS Rules.

3. दिनांक 04.09.2026 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के क्रम में, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी' (ART) फर्टिलिटी उपचारों की एक व्यापक श्रेणी है। इसमें इंट्रा-यूटेराइन इनसेमिनेशन (IUI), इंट्रासाइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI), इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर (GIFT), जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर (ZIFT), फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर (FET) और प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग (PGT) आदि शामिल हैं। वर्तमान में, विभाग के 19.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत CHSS में केवल IVF शामिल है; ART की अन्य प्रक्रियाएं विभाग की CHSS योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं।

In continuation of the above referred OM dated 04.09.2026, it is clarified that Assisted Reproductive Technology (ART) is a broad category of fertility treatments including Intrauterine Insemination (IUI); Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI); In-Vitro Fertilization (IVF); Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT); Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT); Frozen Embryo Transfer (FET); Preimplantation Genetic Testing (PGT) etc. At present, only IVF is covered under CHSS vide Department's OM dated 19.05.2014 and other ART procedures are not covered under CHSS of the Department.

4. यह विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority in the Department.

02.11.2026

(डॉ. राज कुमार झा/ Dr. Raj Kumar Jha)
अवर सचिव (सीएचएसएस) / Under Secretary (CHSS)

सभी सीएचएसएस प्रशासनिक इकाइयां
All CHSS Administering Authorities.